

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... बूध सिंह आदि बनाम ..... गुरबचन कौर

प्रकरण संख्या ..... २९ / २०१५ अन्तर्गत धारा ..... ८८, ९१, १८८

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
५ ५/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु समय प्राप्त। अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा साक्ष्यवादी स्वतः बन्द समझी जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक २५/०५/२०२५ को पेश हो।
२५ ५/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु समय प्राप्त। न्यायिक प्रे अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा साक्ष्यवादी स्वतः बन्द समझी जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक २/५/२५ को पेश हो।
२ ५/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी पेश नहीं करने पर बन्द की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की साक्ष्य बन्द हो चुकी है। वादीगण अपनी तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। लिहाजा वादीगण का वादपत्र अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नम्बर से काम होकर वापस प्युटर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर